सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 अग्रहायण, 1937 (श०)

संख्या **855** राँची, मंगलवार

8 दिसम्बर, 2015 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

12 नवम्बर, 2015

संख्या-एल0जी0-03/2014-**133**/लेज0 झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राष्ट्रपति दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को अनुमति दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011

(झारखंड अधिनियम, 18 , 2015)

झारखंड में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने और उससे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक मामलों में उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

चूँकि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजिनियरी एवं प्रबंधन, विशेषकर इंजिनियरी में शिक्षा एवं शोध के उत्कृष्ट केन्द्रों के सृजन का उन्नयन करना आवश्यक हो गया है;

और, चूँकि यह आवश्यक हो गया है कि झारखंड में स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालय से संबंधन प्राप्त वियमान इंजीनियरी एवं तकनीकी महाविद्यालयों द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए;

और, चूँकि यह आवश्यक हो गया है कि इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोज्य विज्ञान में शोध सुविधाओं का विकास हो;

और, चूँकि प्रौद्योगिकी- प्रवाह में वैश्विक परिवर्तन एवं झारखंड की आवश्यकता के अनुकूल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोज्य विज्ञान और प्रबंधन में शोध को कार्यान्वित करना तथा शिक्षा देना आवश्यक हो गया है।

और, इसलिए झारखंड में एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करना समीचीन है।

भारत-गणतंत्र के एकसठवें वर्ष में झारखंड विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:-

अध्याय -I

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार**:-

(i) यह अधिनियम झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 कहलाएगा।

(ii) यह सम्पूर्ण राज्य में प्रवृत्त होगा।

(iii) यह तुरन्त लागू होगा किन्तु प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा (3)(i) के उपबंधों के अनुसार अस्तित्व में आएगा।

2. **परिभाषाएँ** :-

जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, इस अधिनियम में :-

(i) "विद्यमान महाविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसा महाविद्यालय या ऐसी संस्था जो तकनीकी शिक्षा देते हो और झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालाय के अधीन अथवा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित हो;

(ii) "प्रस्तावित" से अभिप्रेत है नियमावली द्वारा प्रस्तावित ;

(iii) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है महाविद्यालय का प्रधान, चाहे उसे जो कहा जाए और उसमें शामिल हैं, जहाँ प्राचार्य नहीं हो वहाँ वह व्यक्ति जो तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त हो और प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य की अनुपस्थिति में सम्यक् नियुक्त उप-प्राचार्य ;

(iv) "नियमावली" से अभिप्रेत है इस के अधीन बनायी गयी विश्वविद्यालय की नियमावली ;

(v) "तकनीकी शिक्षा" से अभिप्रेत है इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, वास्तु शिल्प, प्रबंधन, नगर योजना, अनुप्रयोज्य कला एवं शिल्प, अनुप्रयोज्य विज्ञान तथा अन्य ऐसे कार्यक्रम या क्षेत्र जो केन्द्र सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करें, में शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम;

(vi) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन स्थापित झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय;

(vii) "सम्बद्ध महाविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जिसको इस के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा सम्बंधन दिया गया हो ;

(viii) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जिसको इस के उपबंधो के अधीन या द्वारा झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से विशेषाधिकार मिला हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो ;

(xi) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति और उसमें झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी भी शामिल है;

(x) "अंगीभूत महाविद्यालय"से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित कोई महाविद्यालय जो विद्यार्थियों को विहित कानूनों के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा में शामिल होने हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है तथा उसमें शामिल है इस के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित और बाद में इस विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित महाविद्यालय;

(xi) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखंड सरकार ;

(xii) "संस्था" से अभिप्रेत है इंजिनियरी, प्रौद्योगिकी, भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान, वास्तुशिल्प या ललित कला, पोलिटेकनिक में शिक्षण, शोध, प्रयोग/प्रायोगिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वाली संस्था, संगठन, प्रशिक्षण केन्द्र या अन्य प्रतिष्ठान;

(xiii) "कुल सचिव" से अभिप्रेत हैं विश्वविद्यालय का कुल सचिव;

(xiv) "शिक्षक" में शामिल हैं महाविद्यालय के प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, रीडर और व्याख्याता तथा महाविद्यालय में अनुदेश देने वाले कोई अन्य व्यक्ति जिसे शिक्षक के रूप में घोषित किया गया हो।

अध्याय - II

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन

3. (i) विश्वविद्यालय राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से अस्तित्व में माना जाएगा।

(ii) विश्वविद्यालय "झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय" के नाम से जाना जाएगा और इसका मुख्यालय राँची में होगा।

(iii) तत्समय पद धारण करने वाले कुलाधिपति, कुलपति, शासी निकाय, कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् के सदस्य झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय का गठन करेंगे।

(iv) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुहर होगी तथा वह उक्त नाम से वाद चलाएगा या उस पर वाद चलाया जाएगा।

शक्तियों का क्षेत्रीय प्रयोग :-

4. (i) विश्वविद्यालय इस के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग सम्पूर्ण झारखंड में करेगा। परन्तु राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में परिवर्तन कर सकती है।

(ii) अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को तकनीकी शिक्षा देने अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अ.भा.त.शि.प), नई दिल्ली के कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी विद्यमान महाविद्यालय या संस्था, जो पर्षद अथवा राज्य विश्वविद्यालय से सम्बंद्धता प्राप्त विद्यमान सभी महाविद्यालय या

संस्था (कुछ (डीम्ड) विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं को छोड़कर) इस विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त माने जायेंगे।

(iii) राज्य में विद्यमान महाविद्यालय से भिन्न तकनीकी शिक्षा देने वाले प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था, इस के प्रारम्भ होने की तिथि को, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त यथा अधिसूचित तिथि के प्रभाव से धारा-3 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त माने जायेंगे और पर्षद अथवा झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000, के अधीन या द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय (इसमें इसके पश्चात् इस धारा में पूर्ववर्ती पर्षद अथवा विश्वविद्यालय के रूप में निर्दिष्ट) से प्राप्त संबंधन या सहयोजन समाप्त हो जाएगा ;

परन्तु इसे प्रारम्भ होने की तारीख को विद्यमान महाविद्यालय से भिन्न किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी को इसके प्रारम्भ होने के पश्चात् भी पूर्ववर्ती पर्षद अथवा विश्वविद्यालय के अधीन ऐसा अध्ययन जारी रखने का हक होगा एवं उसको इसकी अनुमति होगी तथा पूर्ववर्ती पर्षद अथवा विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थी की परीक्षा आयोजित करेगा और वह तत्समय प्रवृत्त प्रक्रिया के अनुसार डिप्लोमा अथवा डिग्री अथवा कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करेगा।

<u>विश्वविद्यालय का सभी वर्ग एवं पंथ के लिए खुला होना</u> :-

5. विश्वविद्यालय वर्ग या पंथ पर विचार किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा:

परन्तु अधिनियम द्वारा अवधारित संख्या से अधिक संख्या के विद्यार्थियों के लिए कोई पाठ्यक्रम शामिल करने हेतु विश्वविद्यालय को इस धारा के अधीन कोई बात अपेक्षित नही होगी

परन्तु यह और कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, महिला तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के नामांकन हेतु विशेष उपबंध बनाने से इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को बाधित नही करेगी ;

<u>विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कृत्य</u>

6. <u>विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कृत्य होंगे</u> :-

(i) इंजीनियरी, प्रौदयोगीकी, अनुप्रयोज्य विज्ञान एवं प्रबंधन तथा ऐसी अन्य विद्या शाखा, जो विश्वविद्यालय उचित समझे, में स्नातक, स्नाकोत्तर एवं डॉक्टरेट डिग्री के लिए शिक्षण एवं अनुदेश उपलब्ध कराना।

(ii) विभिन्न विद्या शाखाओं में उच्च अध्ययन एवं शोध के विभाग, केन्द्र स्थापित करना।

(iii) विभिन्न विद्या शाखाओं में स्नातक, स्नाकोत्तर एवं डॉक्टरेट डिग्री के लिए पाठ्यक्रम विहित करना।

(iv) अनुप्रयोज्य विज्ञान तथा इंजीनियरी, प्रौदयोगीकी एवं प्रबंधन और ऐसी अन्य विद्या शाखा जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में संस्थाओं को संबंधन या असंबंधन देना।

(v) परीक्षा आयोजित करना और ऐसी परीक्षाओं का परिणाम प्रकाशित करना।

(vi) ऐसे व्यक्तियों को डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट-डिप्लोमा, प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करना जिन्होंने महाविद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किया हो अथवा विहित रीति से शोध किया हो।

(vii) इस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय एवं संस्थाओं का निरीक्षण एवं सामान्य पर्यवेक्षण करना।

(viii) अ.भा.त.शि.प./वि.अ.आ. एवं पाठ्यक्रमों पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे अन्य केन्द्रीय निकायों के मार्गदर्शन के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन-प्रक्रिया विहित करना।

(ix) विश्वविद्यालय के अधीन आनेवाले सभी पहलुओं में शोध करना एवं उसका प्रायोजन।

(x) नियमावली द्वारा यथाविहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताओं को प्रदान करना।

(xi) ऐसे उद्देश्यों के लिए जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं तथा व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत संगठनों के साथ सहयोग करना।

(xii) ऐसी योग्यता की मान्यता के लिए जो विश्वविद्यालय उचित समझे, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना।

(xiii) शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या, कार्यशाला, सेमिनार एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना।

(xiv) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संविधि द्वारा यथा नियत पदों का सृजन करना, पदाधिकारियों एवं अन्य प्रभारियों की नियुक्ति करना।

(xv) ऐसे उद्देश्यों के लिए जिसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार और अन्य निकाय से उपहार, चंदा या दान प्राप्त करना।

(xvi) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ किसी स्थायी या अस्थायी सम्पति का अर्जन, क्रय, पट्टा पर लेना या निष्पादन करना।

(xvii) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विलेख, पट्टा का निष्पादन तथा समझौता पत्र पर हस्ताक्षर, संविदा करना/संविदा रद्द करना।

(xviii) इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, वि.अ.आ., अ.भा.त.शि.प एवं ऐसे अन्य निकायों, जो सांविधिक अथवा असांविधिक हो, से समझौता करना।

(xix) ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय की किसी एक या सभी शक्तियों के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हो और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए लाभकर हो।

अध्याय - III

विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण

7. **विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण** :-

विश्वविद्यालय में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:-

(i) कुलाधिपति,

(ii) कुलपति,

(iii) कुल सचिव,

(iv) वित्त पदाधिकारी,

(v) निदेशक, पाठ्यक्रम विकास,

(vi) परीक्षा नियंत्रक, और

(vii) विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के लिए नियमावली में यथाघोषित पदाधिकारी।

8. <u>कुलाधिपति और उनकी शक्तियाँ</u> :-

(i) झारखंड राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे तथा अपने पदाभिधान से इसके प्रधान होंगे।

(ii) कुलाधिपति जब उपस्थित हों, तब विश्वविद्यालय की बैठकों एवं दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(iii) विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकार इनके अधीनस्थ होंगे।

(iv) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय, इसके भवन, प्रयोगशाला, कार्यशाला एवं उपकरण, किसी महाविद्यालय या छात्रावास, संचालित किए गए किसी शिक्षण या परीक्षा कार्य अथवा विश्वविद्यालय द्वारा किए गए किसी कार्य और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों द्वारा किए गए निरीक्षण कार्य को, जिसको उसने निदेश दिया था, निरीक्षण कराने की शक्ति होगी तथा इसी तरह वह विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी मामले के सम्बन्ध में निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है और सम्बद्ध विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पदाधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे निरीक्षण कार्य में आवश्यक सहयोग करें।

परन्तु कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, अपने निरीक्षण या जाँच करने या कराने अथवा संचालित निरीक्षण की जाँच की सूचना कुलपति को देगा तथा विश्वविद्यालय को उसमें प्रतिनिधित्व करने का हक होगा।

() (क) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम को कुलपति को भेज सकता है तथा कुलपति कुलाधिपति के दृष्टिकोण की संसूचना कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् को देगा।

(ख) कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट जो ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम पर की गयी हो अथवा किए जाने के लिए प्रस्तावित हो, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कुलाधिपति को करेगी।

(ग) जहाँ कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् समुचित समय के भीतर कुलाधिपति के समाधान पर कार्रवाई नहीं कर पाती है तो कुलाधिपति परिषद् द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे और कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् उसे तुरन्त अनुपालन करेगी:

परन्तु उप-धारा (v) में किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति, यदि वह आवश्यक समझे तो कुलपति या अन्यथा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक या पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा सम्बद्धता प्राप्त किसी महाविद्यालय से स्पष्टीकरण माँग सकते हैं और आरोपों पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश निर्गत कर सकते है जो वह उचित समझे तथा कुलपति, कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् या शासी निकाय यथास्थिति उसका अनुपालन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करेंगे।

() कुलाधिपति स्वप्रेरणा से या इस के उपबंधो के अधीन कुलपति या सरकार द्वारा निदेशित किये जाने पर लिखित आदेश से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की किसी ऐसी कार्यवाही को बाधित कर सकता है जो इस अधिनियम, नियमावली या तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के अनुरूप नहीं हो।

परन्तु ऐसे किसी आदेश करने के पूर्व कुलाधिपति ऐसे प्राधिकार से कारण पृच्छा कर सकेगा कि ऐसा आदेश पारित क्यों नही किया जाए और यदि ऐसे प्राधिकारी द्वारा कोई कारण विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर विचार किया जायेगा।

() कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार को निलंबित या बर्खास्त तथा विश्वविद्यालय के अंतरिम प्रशासन के लिए उपाय करने का अधिकार होगा,

परन्तु किसी ऐसी कार्रवाई के पूर्व कुलाधिपति ऐसे प्राधिकारी को कारण पृच्छा का अवसर देगा कि क्यों नहीं ऐसी कार्रवाई की जाए।

() मानद उपाधि प्रदान करने या वापस करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की संपुष्टी के अध्यधीन होगा।

() विश्वविद्यालय सेवा के किसी कर्मचारी के विरूद्ध कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा पारित बर्खास्तगी के किसी आदेश के विरूद्ध कुलाधिपति के पास अपील की जाएगी।

() सम्बंधित कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश तामील होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर उप-धारा (ix) के अधीन अपील दायर की जाएगी।

() कुलाधिपति को निधि कुप्रबंधन या अवचार के आरोप पर अथवा किसी ठोस एवं पर्याप्त कारण से लिखित आदेश द्वारा कुलपति को पद से हटाने की शक्ति होगी:

परन्तु इस धारा के अधीन कुलपति को हटाने का कोई आदेश तबतक नहीं किया जाएगा जबतक कि इस प्रयोजनार्थ कुलाधिपति द्वारा नियुक्त सरकार के सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी द्वारा संचालित जाँच से आरोप प्रमाणित न हो जाए।

परन्तु यह और कि इस उप-धारा के अधीन कुलपति को तबतक नही हटाया जाएगा जबतक कि उसके विरूद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने का युक्ति युक्त अवसर उसे न दिया गया हो।

() कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होगी जो इस या नियमावली द्वारा उसे प्रदान की जाए।

9. <u>कुलपति और उसकी नियुक्ति</u>

() कुलाधिपति, कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा गठित समिति से अनुशंसित तीन नामों के पैनल में से करेगा।

() उप-धारा () में निर्दिष्ट समिति में तीन सदस्य होंगे जिनमें से एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ अ.भा.त.शि.प. द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा, एक कार्य-परिषद् द्वारा निर्वाचित होगा तथा शेष एक सदस्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होगा, और कुलाधिपति उनमें से एक सदस्य को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा:

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति समिति के सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का सदस्य हो अथवा विश्वविद्यालय या उसके द्वारा मान्यता या सम्बद्धता प्राप्त या अनुरक्षित महाविद्यालय या संस्था का कर्मचारी हो।

() समिति अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर अपेक्षित अनुशंसा करेगी, ऐसा नही होने पर कुलाधिपति द्वारा दूसरी ऐसी समिति नियुक्त की जाएगी जो कुलाधिपति को अपेक्षित अनुशंसा करेगी, तदनुसार कुलाधिपति, कुलपति नियुक्त करेगा।

() कुलपति अपना पद धारण करने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा दूसरी अवधि जो तीन वर्ष से अधिक की नही होगी अथवा नियमावली के अधीन विहित उम्र पूरा होने तक पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

() कुलपति को देय पारिश्रमिक एवं अन्य सेवा-शर्ते नियमावाली द्वारा अवधारित किए जायेंगे।

10. <u>कुलपति की शक्तियाँ एवं कृत्य</u>